<u>न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०)</u> {समक्ष :डी.एस.मण्डलोई}

<u>आप.प्र.क. : 74 / 2015</u> संस्थित दि: 28 / 01 / 15

आप.प्र.क. : 74 / 2015

200	
मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र रूपझर,	
अन्तर्गत चौकी उकवा, जिला बालाघाट (म.प्र.)	अभियोगी
विरुद्ध	
शान्तिबाई पति सीताराम, उम्र 50 साल, जाति कतिया,	
निवासी उकवा थाना रूपझर, जिला बालाघाट (म.प्र.)	आरोपीया
–ः: निर्णय ::-	-

(आज दिनांक 28/01/2015 को घोषित किया गया)

- (01) आरोपीया पर आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) का आरोप है कि आरोपीया दिनांक 05.01.2015 को समय 17:20 बजे स्थान उकवा बाजार चौक तिराहा थाना रूपझर के अन्तर्गत अपने आधिपत्य में 180 एम.एल. की 15 पाव देशी प्लेन शराब अवैध रूप से बिना आज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा—पत्र के रखे हुए पायी गयी।
- (02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि चौकी उकवा में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक दुर्गाप्रसाद भगत दिनांक 05.01.2015 को हमराह हमराह स्टाप के साथ जुर्म जयराम पतासजी हेतु रवाना हुआ था तो उसे कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि उकवा बाजार चौक तिराहा के पास एक महिला आम रास्ते में अवैध रूप से शराब लेकर जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर हमराह स्टाप को साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर जाकर घेराबंदी कर आरोपीया को पकड़ने पर आरोपीया के कब्जे से 180 एम.एल. की 15 पाव देशी प्लेन शराब पायी गई। आरोपीया से शराब रखने के लायसेंस के संबंध में पूछने पर आरोपीया ने लायसेंस न होना व्यक्त किया। बिना लायसेंस के शराब पाया जाना मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपीया से

उक्त शराब को जप्त कर आरोपीया को गिरफ्तार कर, आरोपीया के विरूद्ध शून्य पर कायमी कर असल नम्बरी हेतु थाना रूपझर भेजा था जिस पर गिना रूपझर की पुलिस के द्वारा आरोपीया के विरूद्ध अपराध क्रमांक 03/2015 अन्तर्गत धारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के तहत यह अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- (03) आरोपीया को मेरे द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपीया को पढकर सुनाई व समझाई गई।
- (04) आरोपीया के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-
 - (अ) क्या आरोपीया दिनांक 05.01.2015 को समय 17:20 बजे स्थान उकवा बाजार चौक तिराहा थाना रूपझर के अन्तर्गत अपने आधिपत्य में 180 एम.एल. की 15 पाव देशी प्लेन शराब अवैध रूप से बिना आज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा—पत्र के रखे हुए पायी गयी ?

—:: <u>सकारण निष्कर्ष</u> ::–

- (05) आरोपीया को मेरे द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपीया को पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीया ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया ।
- (06) आरोपीया द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपीया को आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है ।
- (07) अभियोजन द्वारा आरोपीया के विरूद्ध पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः आरोपीया का यह प्रथम अपराध होना प्रकट होता है। आरोपीया के द्वारा अपराध की स्वेचछयापूर्वक स्वीकारोक्ति के फलस्वरूप आरोपीया को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।
- (08) आरोपीया को आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए 1,200/— (एक हजार दो सौ रूपये) के अर्थदण्ड एवं न्यायालय

उठने तक की सजा से दण्डित किया जाता है।

- (09) अर्थदण्ड की राशि अदा न करने के व्यतिक्रम में आरोपीया को एक माह के साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे ।
- (10) प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट की जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया ।

आप.प्र.क. : 74 / 2015

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथमश्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट ATTERIAL PERENT PERENT